कार्यालय, नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय गोण्डा

सार्वजनिक नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 01-04-2024 से दिनांक 31-03-2025 तक) हेतु जनपद न्यायालय गोण्डा परिसर के अन्दर स्थित चाय-नमकीन, पान व फोटो/फोटोस्टेट के दुकानों/स्थानों के ठेकों की नीलामी, दिनांक 09-04-2024 को अपराह्न 04:00 बजे, जनपद न्यायालय गोण्डा के मीटिंग हाल में श्री नासिर अहमद, विशेष न्यायाधीश एस० सी०/एस० टी० एक्ट गोण्डा, अध्यक्ष, नीलामी समिति, श्री राजेश मणि त्रिपाठी, पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोण्डा एवं श्री दीनानाथ-III, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-2 गोण्डा के समक्ष की जायेगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में उक्त दुकानों की नीलामी की बोली हेतु न्यूनतम स्वीकृत धनराशि विगत वित्तीय वर्ष में अन्तिम नीलामी धनराशि को इस वित्तीय वर्ष 2024-25 के नीलामी हेतु बोली की न्यूनतम राशि निम्नानुसार निश्चित की जा सकती है:-

क्र. सं.	दुकान का विवरण	बोली की न्यूनतम धनराशि
1	चाय-नमकीन की स्थान/दुकान नं 1, मेन ब्लाक के दाहिने तरफ, दक्षिण पूर्व कोने पर गेट के पास	3,90,000/-
2	चाय-नमकीन की दुकान नं०-2, मेन ब्लाक के पीछे तथा न्यायालय सिविल जज जू० डि० गोण्डा के सामने।	5,33,000/-
3	चाय-नमकीन स्थान/दुकान नं०-3, दसकक्षीय न्यायालय भवन के पूरब तरफ।	4,49,000/-
4	पान स्थान/दुकान नं०-1, चाय-नमकीन की दुकान नं०-1 के बगल।	77,000/-
5	पान स्थान/दुकान नं० 2, चाय-नमकीन की दुकान नं०-2 के बगल।	1,30,500/-
6	पान स्थान/दुकान नं०-3, चाय-नमकीन की दुकान नं०-3 के बगल।	1,65,500/-
7	फोटो/फोटोस्टेट स्थान/दुकान, मेन ब्लाक के पीछे।	3,75,000/-

नीलामी की कार्यवाही की सामान्य शर्ते निम्नलिखित होंगी:-

1- प्रत्येक बोली बोलने वाले को अनिवार्य होगा कि वह अपने बोली पर स्थिर रहे तथा अपने बोली के अनुरूप अपना हैसियत प्रमाण पत्र सम्बन्धित तहसीलदार से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करें। यह प्रमाण पत्र बोली बोलने से पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2- बोली बोलने के पूर्व उसे चाय-नमकीन, फोटो/फोटोस्टेट की दुकान के लिए तीस हजार रूपये तथा पान की दुकान के लिए 15,000/- रूपये जमानत के रूप में अग्रिम जमा करना होगा। बिना अग्रिम धनराशि जमा किये हुए कोई व्यक्ति बोली बोलने का पात्र नहीं होगा चाहे वह हैसियत प्रमाण पत्र ही क्यों न प्रस्तुत करें।

3- चाय-नमकीन की दुकान के ठेकेदार, खाद्य पदार्थों में, किसी ऐसे पदार्थ का प्रयोग नहीं करेगा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो।

4- बोली अन्तिम रूप से स्वीकार होने की दशा में, बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत, बोली स्वीकृत होने के पश्चात, तत्काल जमा करना होगा। अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 03 सप्ताह के अन्दर जमा करना होगा। अन्तिम बोली स्वीकार होने की दशा में सम्बन्धित ठेकेदार को 100 रूपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप पर अनुबन्ध भी करना होगा। यदि अन्तिम रूप से स्वीकृत बोली का 25 प्रतिशत धनराशि ठेकेदार द्वारा तत्काल जमा नहीं करायी जायेगी तो जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और पुनः कराई जायेगी।

5- किसी भी बोली को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार जनपद न्यायाधीश महोदय गोण्डा को होगा। बिना बोली बोलने वाला व्यक्ति कारण जानने का पात्र नहीं होगा।

6- प्रत्येक बोली बोलने वाला व्यक्ति जिसकी बोली अन्तिम रूप से स्वीकृत होगी वह अपनी दुकान जनपद न्यायालय परिसर की सीमा के अन्तर्गत निर्दिष्ट स्थान पर लगायेगा।

किसी ठेकेदार को स्वीकृत दुकान के अतिरिक्त अन्य दुकान खोलने का कोई अधिकार नहीं होगा तथा अपनी दुकान की सुरक्षा का उत्तरदायित्व उसका स्वयं का होगा।

7- स्वीकृत दुकान पर दुकानदार स्वयं बैठकर दुकान का संचालन करेगा। यदि दुकानदार अपनी दुकान अन्य व्यक्ति से संचालित कराता है तो उसे उस व्यक्ति के नियुक्ति के उपरान्त उससे दुकान संचालित कराये जाने के पूर्व उसका नाम, पता, कार्यालय नजारत अनुभग जनपद न्यायालय गोण्डा में अवगत कराना आवश्यक होगा। इस सम्बन्ध में चाय-नमकीन, पान आदि की दुकानों की बिक्री करने वाले कर्मचारियों को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेगा।

8- कोई ठेकेदार अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति जनपद न्यायालय परिसर में कार्यदिवस में प्रातः 09:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक ही न्यायालय परिसर में रहकर अपनी दुकान का संचालन कर सकता है। सायं 06:00 बजे से प्रातः 09:00 बजे तक किसी भी स्थिति में वह न्यायालय परिसर में नहीं रूकेगा।

9- जनपद न्यायालय परिसर में जनपद न्यायाधीश महोदय के पूर्व अनुमति के बिना कोई ठेकेदार अथवा कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई दुकान नहीं लगायेगा।

10- जिस व्यक्ति के जिम्मे पूर्व में नीलामी का धनराशि बकाया होगा उसको बोली बोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

11- चाय नमकीन की दुकान पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, प्रभारी अधिकारी नजारत अथवा केन्द्रीय नाजिर द्वारा अधिकृत कोई कर्मचारी समय-समय पर खाद्य सामग्री का परीक्षण कर सकेंगे। विपरीत परिस्थितियोंवश ठेका तत्काल निरस्त किया जा सकता है।

12- किसी भी तरह के विवाद का क्षेत्र जनपद न्यायालय गोण्डा होगा।

(हस्ताक्षर) 28/3/24
(डा० दीनानाथ-III)
सदस्य,
नीलामी समिति/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-2 विशेष न्यायाधीश एस० सी०/एस० टी० एक्ट
गोण्डा।

(हस्ताक्षर) 28/3/24
(नासिर अहमद)
अध्यक्ष,
नीलामी समिति/
गोण्डा।

<u>कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, गोण्डा ।</u>
<u>नीलामी दिनांक 09–04–2024</u>

संख्या 684/नाजिर दिनांक 28–03–2024
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु :–
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु :–

1. माननीय जनपद न्यायाधीश, गोण्डा के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
2. जिलाधिकारी, गोण्डा ।
3. पुलिस अधीक्षक, गोण्डा ।
4. जिला सूचना अधिकारी, गोण्डा को निशुल्क प्रकाशानार्थ प्रेषित ।
5. नगर पालिका परिषद, गोण्डा ।
6. जिला परिषद , गोण्डा ।
7. सिस्टम आफिसर कम्प्यूटर को माननीय उच्च न्यायालय एवं जनपद न्यायालय गोण्डा के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(हस्ताक्षर)
केन्द्रीय नाजिर,
जनपद न्यायालय, गोण्डा ।